निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 7 / 2023
दायरा दिनांकः–10.04.2023
निर्णय दिनांकः– 22.5.25

उनवान

1. मिथलेश उर्फ भूरी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नि हरीश भार्गव निवासी ग्राम बमोरा हाल निवासी गुगोर रोड प्रेम नगर वार्ड नम्बर 1 छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 22.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री उमाशंकर गोस्वामी प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बमोरा तहसील छबड़ा में प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या 238 की खसरा नंबर 465 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 562 रकबा 02 बीघा 02 बिश्वा, खसरा नंबर 563 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा वाके माल बमोरा तहसील छबड़ा में स्थित है, जो प्रार्थीया के हिस्से में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/7 नियत है। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीया के पिता श्री मांगीलाल जी की मृत्यु पश्चात जो फोती इंतकाल खोला, उसमें प्रार्थीया का नाम भूरी दर्ज कर दिया, जो दुरूस्त होने योग्य है। प्रार्थीया को केवल घर पर ही भूरी के नाम से जाना जाता था, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम मिथलेश पुत्री मांगीलाल है। प्रार्थीया की शादी के उपरांत भी मिथलेश पत्नी हरीश भार्गव है एवं समस्त कागजात राज पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड एवं राशनकार्ड तमाम दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम मिथलेश पत्नी हरीश भार्गव दर्ज है, जो प्रार्थीया का वास्तविक नाम है। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीया के खाते की आराजी में प्रार्थीया का नाम भूरी लिखकर जो गलती कर दी है, उसके कारण प्रार्थीया को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसको लोन वगैरहा का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि प्रार्थीया का नाम तमाम कागजात राज में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मिथलेश दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो गलती की गई है, उसे दुरूस्त करवाने की प्रार्थीया अधिकारी एवं नालिसी है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार से रिपोर्ट ली गई। जो शामिल मिशल है प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 238 फोटो प्रति जन आधार कार्ड आधार कार्ड मिथलेश मतदाता पहचान पत्र मिथलेश परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/7 हिस्सा नियत है प्रार्थीया के पिता मांगीलाल की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थीया का नाम भूली बाई दर्ज कर दिया। प्रार्थीया का बोलता नाम जो घर पर भूरी के नाम से जाना जाता है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम मिथेलश है प्रार्थीया की शादी कें बाद भी मिथलेश पत्नि हरीश भार्गव है प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम मिथलेश पत्नि हरीश भार्गव दर्ज है प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूरी बाई दर्ज है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम मिथेलश है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया राज्य सकरार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि कस्बा छबडा में प्रार्थीया मिथलेश उर्फ भूरी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नि हरीश भार्गव के सम्बन्ध में जॉच करने हेतु मौके पर पहुंचा मौके पर उपस्थित व्यक्यिों एवं परिजनों से जानकारी की गई तो उपस्थित व्यक्यिों ने बताया कि मिथलेश को दोनों ही नाम मिथलेश व भूरी बाई के नाम से जाना पहचाना जाता है प्रार्थीया मिथलेश का नाम मिथलेश उर्फ भूरी बाई किया जाना उचित होना बताया है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा तहसील छबडा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 238 में भीह का नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज फोटो प्रति जन आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम मिथलेश दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूरी बाई एवं प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में मिथलेश दर्ज है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूरी के स्थान पर मिथलेश दुरूस्त कराना चाहती है तहसीलदार छबडा द्वारा रिपोर्ट में भूरी बाई व मिथलेश दोना नाम एक ही महिला के होना बताया है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजात में अलग–अलग नाम दर्ज होने से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में भूरी के स्थान पर भूरी बाई उर्फ मिथलेश दर्ज करवाना चाहती है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

एवं प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा के खाता संख्या 238 के खसरा नम्बर 465 रकबा 0.12 बीघा खसरा नम्बर 562 रकबा 2.02 बीघा खसरा नम्बर 563 रकबा 3.13 बीघा में प्रार्थीया का नाम भूरी बाई पुत्री मांगीलाल के स्थान पर भूरी बाई उर्फ मिथलेश पुत्री मांगीलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा